राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कन्हैयालाल बनाम पुन्नीलाल 194/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.9.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील निष्प्रभावी होने से निस्तारित किये जाने का मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ मय मूल वाद संख्या 216/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20/12/2024 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20/12/2024 को अन्तिम निस्तारण हो चूका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ एवं मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 20/12/2024 का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी की कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 1/9/25 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	